

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

(श्रमायुक्त का कार्यालय, FaxNo-0651-2481013, E-Mail-labcomjhr@gmail.com)

आदेश

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972, के नियम-25 के उपनियम (2) के खण्ड(v) के उप खण्ड (b) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है। पुनः विभागीय आदेश जापांक - 43, दिनांक - 08.01.2020 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबन्धित अनुलग्नक के प्रावधान-13 (iii) के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक - 01.04.2021 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महँगाई भता की दरें देय होंगी।

अतः दिनांक- 01.04.2021 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी :-

श्रमिकों की कोटि	दिनांक-08.01.2020 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक 01.04.2021 से देय परिवर्तनशील महँगाई भता	कुल
अकुशल	8,571.78	1139.19	9,710.97
अर्द्ध कुशल	8,977.47	1193.11	10,170.58
कुशल	11,935.06	1586.17	13,521.23
अतिकुशल	13,675.59	1817.49	15,493.08

१०
पा.
(१० मुख्य कुमार)

श्रमायुक्त, झारखण्ड।


ज्ञापांक-1 / ठेम030(श्रमां)-08 / 2011 श्रमिकों 552 राँची, दिनांक 21/05/2021
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय प्रेस झारखण्ड, डोरण्डा, राँची-2 को सूचनार्थ एवं आगामी राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

१०
पा.
श्रमायुक्त, झारखण्ड।

ज्ञापांक-1 / ठेमोआ०(श्रमा०)-०८/२०११ श्र०नि० ५५२ राँची, दिनांक २१/०५/२०२१
प्रतिलिपि:- मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त
सचिव/सचिव, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त
सचिव/श्रमायुक्त, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


श्रमायुक्त, झारखण्ड।

ज्ञापांक-1 / ठेमोआ०(श्रमा०)-०८/२०११ श्र०नि० ५५२ राँची, दिनांक २१/०५/२०२१
प्रतिलिपि:- झारखण्ड, सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी
उपायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त(कृषि श्रमिक सहित)/मुख्य
कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना
निरीक्षक झारखण्ड/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि-श्रमिक सहित)/सभी श्रम
अधिकारी (कृषि श्रमिक सहित)/सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


श्रमायुक्त, झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक.....

(62)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

स्रोत सं.	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल आरतीयउपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष २००१=१००)
१	२	३	४
1	बॉथ निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, 2020	336
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेघने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, 2020	338
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, 2020	340.13
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, 2020	344.16
5	डिस्टीलरी के नियोजन	नवम्बर, 2020	345.31
6	पाट्रीज के नियोजन	दिसम्बर, 2020	342.14
7	बैकरीज एवं कान्फेशन के नियोजन	कुल	2045.74
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	6 माह का औसत	$\frac{2045.74}{6} = 340.95 = 341$
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित विन्दु अर्थात्	301 $341 - 301 = 40 \text{ विन्दु}$
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{40 \times 100}{301}$	13.29 % की वृद्धि
11	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
13	सीमेंट पी-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसवेस्ट्रेस सीमेंट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्टुक कारखाने के नियोजन		

(69)

48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	
50	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	
51	कृषि नियोजन	
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	
53	शीशा उधयोग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	
54	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारबोटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गल्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	
55	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	
57	ठलाई(फक्षणी उद्योग) के नियोजन	
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	
59	कोल ड्रिकेट उद्योग के नियोजन	
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	
62	मिनरल ग्राईंडिंग के नियोजन	
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	
64	स्पंज आइरन छड निर्माण एवं लोहा से एंगाल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	
66	मोटर बाईबिलिंग के नियोजन	
67	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन	
68	चार्ट्ड/कॉस्ट अक्झन्ट्स/ऑडिटर/टेक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	
73	ग्राईंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और के नियोजन	
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/परिचालक आदि के नियोजन	
75	कम्प्यूटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	
77	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरे निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरे निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2020 (वर्ष 2020 का द्वितीय अंदाजी) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- 01.04.2021 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७६/२०१०, क्र० नि० 513 राँची, दिनांक 13/04/2021)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

२३/३/२०२१
सरकार के अंकर सचिव।

(617)

अधिसूचना

एस० ओ०.....

दिनांक.....

का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खण्ड-३ के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०, क्र० नि० 514 राँची, दिनांक 13/04/2021)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

233/3/4/22)
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../

dated

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2020	336
2	Shops Selling Cooked food stuff	August, 2020	338
3	Tanneries and Leather Manufactory	September, 2020	340.13
4	Cold Storage	October, 2020	344.16
5	Distilleries	November, 2020	345.31
6	Potteries	December, 2020	342.14
7	Bakeries and Confectionaries	Total	2045.74
8	Co-Operative Sector	Average	2045.74
9	Aluminum Industry	Revised /fixed price index no. on-24.10.2019	6 = 340.95 = 341 301 Point
10	Khand sari Industry		341-301 = 40 Point 40x100 301

		Percentage Increase	=13.29 % की वृद्धि <i>(61)</i>
--	--	---------------------	-----------------------------------

11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		
19	Laundry and Washing		
20	Hosieries Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		
32	Printing Press		
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		
34	Handloom Industry		
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		
37	Any shop or Establishment		
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of lultural Institution		

40	Hotels, Eating House and Restaurant
41	Any, Woolen Carpet making or Shawl weaving Establishment
42	Dairies and Poultry Farms
43	Auto Mobile Engineering
44	Cinema Industry
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills
46	Tailoring Industry
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry
49	Plastic Industry
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry
51	Employment in Agriculture
52	Book Binding Industry
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactury
55	Electronics Industry
56	Plywood Industry
57	Foundry Industry
58	Biscuit Industry
59	Coal Briquette Industry
60	Private Security Agency
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)
62	Mineral Grinding Industry
63	Employment of Sweeping and Cleaning
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots
65	Employment in Motor garages and workshops
66	Employment of Motor Body Building.
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)

(615)


70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		614
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December,2020, which is 2nd half of 2020, will be payable from 01.04.2021

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 514 Ranchi, Dated 13/04/2021]

By Order of the Governor of Jharkhand,


Under Secretary to Government
(B)

(613)

जापांक -२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०..... ५।३ राँची, दिनांक १३।०५।२०२१

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

233/3/4/21

सरकार के अवर सचिव।

जापांक -२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०..... ५।३ राँची, दिनांक १३।०५।२०२१

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

233/3/4/21

सरकार के अवर सचिव।

जापांक -२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०..... ५।३ राँची, दिनांक १३।०५।२०२१

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला / चण्डीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद(केन्द्रीय)श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियाँ(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

233/3/4/21

सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

612

क्रमसं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर अन्यूनतम मजदूरी दरे निर्धारित की गई है।	जुलाई से दिसम्बर 2020 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर अन्यूनतम मजदूरी दरे निर्धारित की गई है।	उपभोक्ता सूचना सूचकांक में वृद्धि (५ - ४)	इह हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महंगाई भल्ला की राशि देखी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
१	बॉथ निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -1879 दिनांक- 24.10.19	301	341	341-301 =40 विन्दु अर्थात <u>40 x 100</u> 301 = 13.29 % की वृद्धि	क) ₹० 274.81 पर ₹० 36.52 प्रतिदिन ख) ₹० 287.90 पर ₹० 38.26 प्रतिदिन ग) ₹० 379.51 पर ₹० 50.43 प्रतिदिन घ) ₹० 438.39 पर ₹० 58.26 प्रतिदिन मासिक	दिनांक- 01.04.2021 से देय
२	पकड़ हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन						
३	घर्म शोधनालय और घर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव					
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव					
५	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव					
६	पोट्रीज के नियोजन	तदैव					
७	बैकरीज एवं काकफेशन के नियोजन	तदैव					
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव					

1	2	3	4	5	6	7	8
९	अल्पमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
११	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१३	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१४	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१५	ब्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१८	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१९	लॉन्झी एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२१	सिंटुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२३	उड वर्से एवं फनीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
२६	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२७	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२९	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३०	निजी अस्पताल नसिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३२	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३३	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३४	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३५	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
४१	उनी कालीन बलाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४६	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४८	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४९	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५०	सीमेट से हयूम पाइप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५१	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५३	शीशा उद्योग के नियोजन (ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५४	टफ्टी, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
५५	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५७	ढलाई(फऊण्ड्री उधयोग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५९	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६१	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६२	मिनरल ग्राइंडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६४	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६५	मोटर गैराज एण्ड वक्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६६	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६७	मेस, कैंटीन एवं कलब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६८	चार्ट्ड/कॉस्ट अकाउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इनस्टीव्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७०	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाइप लाइन एवं केबल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७३	गार्डिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन घलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७६	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डब्ल्यू०-२०७९/२०१०, श्र०नि० ५१३ राँची, दिनांक १३।५।२१)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

२३।५।२१
सरकार के अवर सचिव।

606

Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July, 2020 to December, 2020 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date- 24-10-19	301	341	341-301 =40 Or <u>40 x100</u>	(a) On Rs. 274.81 Rs. 36.52 (b) On Rs. 287.90 Rs. 38.26 (c) On Rs. 379.51 Rs. 50.43 (d) Rs. 438.39 and above Rs. 58.26 per day	From 01.04.2021
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-		301	=13.29 %		
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-				Monthly	
5	Distilleries	-Do-				(a) On Rs. 7145.06 Rs. 949.57 per month	
6	Potteries	-Do-				(b) On Rs. 7485.40 Rs. 994.80 per month	
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-				(c) On Rs. 9867.26 Rs.1311.35 per month (d) Rs. 11398.14 and above Rs.1514.81 per month	

253

bou

603

602

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....513.....Ranchi, Dated ..13/04/2021]

By order of the Governor of Jharkhand,

*2535
13/4/2021*
Under Secretary to Government

ज्ञारखण्ड सरकार
अम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
अधिसूचना

626

एस0ओ0..... दिनांक

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्ञारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद सबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (इसके आगे उक्त अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निम्न अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं	अनुसूचित नियोजन का नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	2	3	4
	ज्ञारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्ड/रथानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	जुलाई, 2020	336
		अगस्त, 2020	338
		सितम्बर, 2020	340.13
		अक्टूबर, 2020	344.16
		नवम्बर, 2020	345.31
		दिसम्बर, 2020	342.14
		कुल	2045.74
		छ. माह का औसत	<u>2045.74</u> = 340.95
			<u>6</u>
			=341 बिन्दु
	24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित बिन्दु अर्थात्	301	341-301= 40 बिन्दु
	प्रतिशत वृद्धि 40X100	40	=13.29 % की वृद्धि
		301	

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त अनुसूची सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में अकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2020 (वर्ष 2020 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.04.2021 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-2/एम0डबलू-2071/2010, श्र०नि०- 511 रोकी, दिनांक 13/04/2021)

ज्ञारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

233/13/4/21

सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

625

एसओ.....दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/ एम०डबल०-2071/2010, श्र०नि०- ५१२ राँची, दिनांक 13.04.2021)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23/04/21
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../ dated/ In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here to appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule-1 for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand	July, 2020	336
		August, 2020	338
		September ,2020	340.13
		October, 2020	344.16
		November , 2020	345.31
		December, 2020	342.14
		Total-	2045.74
		Average	2045.74 =340.95 =341 6
		Revised/fixed Price Index No on-24.10.2019	301 Point
		Percentage Increase	= 341-301 =40 Point $\frac{40}{40 \times 100}$ 301 = 13.29 %

(62)

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will be not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2020, which is 2nd half of 2020, will be payable from 01-04-2021

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 512 Ranchi, Dated 13/04/2021]

By Order of the Governor of Jharkhand.

2334
13/04/21
Under Secretary to Government

ज्ञापांक-2/एम0डबल०-2071/2010, श्रोनि०- 512 राँची, दिनांक 13.04.2021

प्रतिलिपि—अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2334
13/04/21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डबल०-2071/2010, श्रोनि०- 512 राँची, दिनांक 13.04.2021

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2334
13/04/21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम0डबल०-2071/2010, श्रोनि०- 512 राँची, दिनांक 13.04.2021

प्रतिलिपि—अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य अमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/क्षेत्रीय अमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/निदेशक, लेवर ब्यूरो, शिमला/चण्डीगढ़/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात् पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

2334
13/04/21
सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

623

क्र. सं	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिकृतव्या संख्या एवं तिथि	पुलाई से दिसम्बर, 2018 तक का असेत तथा जिस पर व्यापकाक्षर लित नियोजित की गई है।	पुलाई से दिसम्बर, 2020 तक का असेत मूल्य सेवकाक्षर जिस पर व्यापकाक्षर लित नियोजित की गई है।	पुलाई से दिसम्बर, 2020 तक का असेत मूल्य सेवकाक्षर जिस पर व्यापकाक्षर लित नियोजित की गई है।	उपलब्धता मूल्य सेवकाक्षर व्यापकाक्षर लित नियोजित की गई है।	कहे हुए मूल्य सूचकाखर पर परिवर्ती-शील भवानाई की अंतिरिक्त राशि महगाई मूल्य की संख्या (5-4)	लिखे जब परिवर्तन महगाई मूल्य की राशि दें की होगी।
1	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों / उपकरणों / बोर्डों / स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन	अधिसूचना संख्या/दिनांक— 301 30-1879 24.10.2019	341	40	क) ₹० 294.44 पर ₹० 39.13 प्रतिदिन ख) ₹० 314.07 पर ₹० 41.73 प्रतिदिन ग) ₹० 405.68 पर ₹० 53.91 प्रतिदिन घ) ₹० 471.11 या अधिक ₹० 62.61 प्रतिदिन	7	प्रतिदिन	लिखा क्र. संख्या— 01.04.202

ग्राहिक

- क) ₹० 7655.44 पर ₹० 1017.40 प्रतिमाह
- ख) ₹० 8165.82 पर ₹० 1085.23 प्रतिमाह
- ग) ₹० 10547.66 पर ₹० 1401.78 प्रतिमाह
- घ) ₹० 12248.86 या अधिक 1627.87 प्रतिमाह

(संख्या—1/एम०डब्लू०-28/2017, श०नि०-

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

253/1/14/21
सरकार के उपर संचित।

Schedule-I

(b2)(i)

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2020 on which V.D.A. is payable	Average of indices of July-December, 2020 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	-Employments of workers engaged in Government offices/ undertakings/ Boards & Local Bodies in the State of Jharkhand	Notification No.1879, 1482 Date 24/10/2019	301	341	40	(a) On Rs. 294.44 Rs. 39.13 per day (b) On Rs. 314.07 Rs 41.73 per day (c) On Rs. 405.68 Rs. 53.91 per day (d) Rs. 471.11 and above Rs. 62.61 per day	From 01-04-2022

Monthly

- (a) On Rs. 765.44 Rs. **1017.40** per month
- (b) On Rs. 8165.82 Rs. **1085.23** per month
- (c) On Rs. 10547.68 Rs. **1401.78** per month
- (d) Rs. 12248.86 and above Rs. **1627.87** per month

No-1/MW-28/2017, L & T....., Ranchi, Dated 13.04.2021

By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary to Government